(कार्या)लय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

(वाद) पत्र संख्या : 14 / 2023 — दायर दिनांक: 20.01.2023

(R)CMS NO:- 2023/40

पीठासीन अधिकारी :—शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. भंवरलाल आ0 श्रीनारायण जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी। —वादी

बनाम

1. कसकन्धा पत्नि शंकर उर्फ हरिशंकर जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

——प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट।

उपस्थितिः—

वादी की ओर से अभिभाषक श्री हसन मियां एवं कमलेश मीणा।

निर्णय दिनांक 22.12.2023

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जरखोदा पटवार हल्का जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0 की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या 294 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1290 रकबा 0.1569 हेक्टयर, खसरा संख्या 257 रकबा 0.1214 हेक्टयर, खसरा संख्या 993 रकबा 0.0728 हेक्टयर, खसरा संख्या 998 रकबा 0.0162 हेक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.3673 हेक्टयर कृषि भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का मूल खातेदार मृतक बजरंगा आ0 लालू था जिसका उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा निहित था। यह कि मृतक बजरंगा की शादी बाल्यावस्था में प्रतिवादीया संख्या 1 कसकन्धा के साथ ग्राम बामनगांव में हुई थी लेकिन बजरंगा के बालिग होने पर बजरंगा मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया था तथा उसकी मानसिक अवस्था ठीक नही रहती थी इस कारण प्रतिवादीया संख्या 1 कसकन्धा ने बालिग होने पर बजरंगा की मानसिक अवस्था को देखते हुए उसके पास आकर रहने से मना कर दिया था तथा वह कभी भी बजरंगा के पास पत्नि बनकर नही रही है प्रतिवादीया संख्या 1 कसकन्धा ने बालिग होने पर बजरंगा से समस्त संबंध (विवाह व चल व अचल सम्पति के अधिकार) समाप्त कर बजरंगा के जीवन काल में ग्राम बालापुरा के शंकर उर्फ हरिशंकर आ0 कजोड जाति धाकड निवासी बालापुरा से नाता विवाह कर लिया था तब से वह बालापुरा मे ही निवास कर रही है तथा उसकी समस्त संताने शंकर उर्फ हरिशंकर से ही उत्पन्न हुई है, प्रतिवादीया संख्या 1 ने कभी भी मृतक बजरंगा के पास आकर निवास नही किया है, प्रतिवादीया संख्या 1 ने वर्षो पूर्व ही मृतक बजरंगा से अपने विवाह के संबंध विच्छेद कर वारिसान की जांच करने पर पाया कि कसकन्धा नाता चली गई तथा एक मात्र वारिस भंवरलाल है जिसके आधार पर ग्राम बम्बूली की कृषि भूमि का मृतक बजरंगा का नामान्तरण संख्या 950 भंवरलाल के नाम दर्ज कर नामान्तरण आम सभा में पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया। लेकिन प्रतिवादीया संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने को बजरंगा की पत्नि बताकर ग्राम जरखोदा के वाद पत्र संख्या 1 में वर्णित भूमि में बजरंगा के स्थान पर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा लिया है जबकि उक्त भूमि पर उसका कोई हक अधिकार नही है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार दर्ज होने पर वादी को उक्त तथ्य की जानकारी लगने पर वादी ने प्रतिवादीया संख्या 1 से कहा कि तुम मृतक बजरंगा की पत्नि हो और ना ही वारिस हो मृतक बजरंगा की वारिस में हूँ तथा बजरंगा की सेवा सुश्रुषा व उसकी देखभाल मेंने व मेरे पिता श्रीनारायण ने ही की थी तथा बजरंगा की मृत्यु होने पर उसके समस्त क्रियाक्रम व दाहसंस्कार मैने ही किये थे तथा जाति समाज के लोगो ने बजरंगा के कोई वारिस नही होने से फाग भी मेरे ही बांधी थी इसलिए बजरंगा का वारिस मै हूँ तथा खाते मे मेरा नाम दर्ज होना था लेकिन तुमने [illegible] नाम दर्ज करवा लिया तुम अपना नाम हटवाओ, तो प्रतिवादीया संख्या 1 ने कहा कि मै जब [illegible] तहसील में चलकर अपना नाम हटवा दूंगी तथा प्रतिवादीया संख्या 1 [illegible] निकालती रही दिनांक 20.12.2022 को वादी ने फिर प्रतिवादी[या संख्या 1 से] खाते [से] नाम हटवाने का तकाजा दिया प्रतिवादीया संख्या 1 कहने लगी जमी[न] [illegible] में जमीन से अपना नाम नही हटाऊंगी तथा मै तो जमीन बेचान करके रहूँगी। यही वाद का कारण है। यह कि प्रतिवादीया संख्या 1 ने मृतक बजरंगा के पास बतौर पत्नि कभी निवास नही किया है ना ही प्रतिवादीया संख्या 1 बजरंगा की वारिस है प्रतिवादीया संख्या 1 कसकन्धा शंकर उर्फ हरिशंकर के नाता पत्नि है तथा उसका मृतक बजरंगा की भूमि में कोई हक अधिकार नही है इसलिए प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम राजस्व रेकोर्ड से इन्द्राज दुरूस्त कर विलोपित किया जावे। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 15:46:14 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] खातेदार बजरंगा का एक मात्र वारिस होने से वादी मृतक खातेदार बजरंगा की [illegible] की वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में मृतक बजरंगा के हिस्से 1/5 [illegible] बजरंगा के स्थान पर उसका वारिस होने से अपने को खातेदार घोषित करवाकर इस आशय [illegible] अंकन समस्त राजस्व रिकोर्ड व जमाबंदी में करवाये। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र नकल जमाबन्दी, असल पंचनामा ग्राम वासियान बम्बूली, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बजरंगलाल, नकल नामान्तरण, फोटोप्रति निर्वाचन नामावली आदि प्रदर्श 1 लगायत 6 पेश किये।

प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.07.2023 के अनुसार ग्राम जरखोदा की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या 294 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1290, खसरा संख्या 257, खसरा संख्या 993, खसरा संख्या 998 कुल किता 4 कुल रकबा 1.3673 हेक्टयर कृषि भूमि होना स्वीकार है तथा बजरंगा की शादी कसकन्धा से होना रिकार्ड पर है।

वाद पत्र में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकी दिनांक 28.08.2023 को निम्नानुसार कायम की गई–

1. यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी मृतक खातेदार बजरंगा का एक मात्र वारिस होने से वादी मृतक खातेदार बजरंगा की खातेदारी की वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में मृतक बजरंगा के हिस्से 1/5 अनुसार बजरंगा के स्थान पर उसका वारिस होने से अपने को खातेदार घोषित करवाकर इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकोर्ड व जमाबंदी में करवाये। –जिम्में वादी
2. यह कि विवादित भूमि खसरा संख्या 1290,257,993,998 में प्रतिवादिया संख्या 1 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर खातेदारी दर्ज के रिकार्ड को दुरूस्त करवाकर वादी अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवाने का वादी को अधिकार प्राप्त है। –जिम्में वादी
3. यह कि बजरंगा की शादी कराकन्धा से होना रिकार्ड पर है।शेष तथ्य वादी स्वयं सिद्ध करे।– जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

उक्त तनकीयों के सम्बन्ध में वादी से साक्ष्य के तौर पर नकल जमाबन्दी, असल पंचनामा ग्राम वासियान बम्बूली, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बजरंगलाल, नकल नामान्तरण, फोटोप्रति निर्वाचन नामावली आदि प्रदर्श 1 लगायत 6 पेश किये। तथा अपने वाद के समर्थन में गवाह रामनारायण आ0 बजरंगा जाति धाकड उम्र 70 वर्ष निवासी बम्बूली के बयान करवाये जिसमें गवाह ने वादी द्वारा प्रस्तुत पंचनामा प्रदर्श–2 स्वयं की उपस्थिति में हस्ताक्षरित होना एवं निष्पादित होना स्वीकार किया।

उक्त तनकीयों पर अंतिम बहस के दौरान वकील वादी में अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि बजरंगा की शादी बाल्यावस्था में प्रतिवादीया संख्या 1 कसकन्धा के साथ ग्राम बामनगांव में हुई थी लेकिन बजरंगा के बालिग होने पर बजरंगा मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया था तथा उसकी मानसिक अवस्था ठीक नही रहती थी इस कारण प्रतिवादीया संख्या 1 कसकन्धा ने बालिग होने पर बजरंगा की मानसिक अवस्था को देखते हुए उसके पास आकर रहने से मना कर दिया था तथा वह कभी भी बजरंगा के पास पत्नि बनकर नही रही है प्रतिवादीया संख्या 1 कसकन्धा ने बालिग होने पर बजरंगा से समस्त संबंध (विवाह व चल व अचल सम्पति के अधिकार) समाप्त कर बजरंगा के जीवन काल में ग्राम बालापुरा के शंकर उर्फ हरिशंकर आ0 कजोड जाति धाकड निवासी बालापुरा से नाता विवाह कर लिया था तब से वह बालापुरा में ही निवास कर रही है तथा उसकी समस्त संताने शंकर उर्फ हरिशंकर से ही उत्पन्न हुई है।

निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम संख्या 43 लगायत 48 एवं 52,53,54 से यह जाहिर होता है कि कसकन्धा, शंकर उर्फ हरिशंकर आ0 कजोड के साथ वर्ष 2020 के सापेक्ष लगभग 37 वर्ष से अधिक समय पूर्व रह रही है तथा कसकन्धा की समस्त संताने शंकर उर्फ हरिशंकर से हुई है। पंचनामा प्रदर्श 2 से यह जाहिर होता है कि बजरंगा के कोई संतान नहीं होने से उसकी पगडी उसके भतीजे भंवरलाल के ही बंधी थी, तथा भंवरलाल ही बजरंगा की समस्त चल अचल सम्पत्ति का एकमात्र वारिस होने का तथ्य पंचगण द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त तथ्य से तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष में साबित होती है।

प्रतिवादीया संख्या 1 कसकन्धा [illegible] हरिशंकर के नाते चले जाने एवं बजरंगा की सम्पत्ति में कोई अधिकार साबित करने [illegible] में प्रतिवादिया को जर्ये नोटिस तलब किया गया , लेकिन बावजूद सूच[illegible] के कारण प्रतिवादिया संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल [illegible] अतः [illegible] द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मानवीय गवाह के आधार पर तनकी सं[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 16:46:14 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 3 बजरंगा की शादी [illegible] रिकार्ड पर होने के सम्बन्ध में है। जिसे वादी ने भी अपने वाद में स्वीकार किया है कि बजरंगा की शादी बाल्यावस्था में कसकन्धा के साथ हुई थी। अतः यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में निर्धारित की जाती है।

हमने वाद पत्र, शपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। साक्ष्यवादी में वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह एवं प्रदर्श दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। वाद मे तनकीवार विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि बजरंगा की शादी बाल्यावस्था मे

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

के साथ हुई थी, लेकिन बालिग होने पर कसकन्धा शंकर उर्फ हरिशंकर के साथ रहने कसकन्धा की समस्त सन्ताने शंकर उर्फ हरिशंकर से ही हुई है। पंचनामा एवं बयान गवाह आधार पर यह साबित होता है कि बजरंगा की समस्त देखभाल, सेवा सुश्रुषा भंवरलाल करता ना आ रहा था एवं बजरंगा की पगडी भी भंवरलाल के बांधी गई थी। अतः न्यायालय उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार करना न्यायोचित समझता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम जरखोदा की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या 294 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1290, खसरा संख्या 257, खसरा संख्या 993, खसरा संख्या 998 कुल किता 4 कुल रकबा 1.3673 हेक्टयर कृषि भूमि में कसकन्धा पत्नी स्व0 बजरंगा जाति धाकड हिस्सा 1/5 को विलोपित किये जाकर उसके स्थान पर वादी भंवरलाल आत्मज श्रीनारायण जाति धाकड को हिस्सा 1/5 का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 15:46:14 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ व इजलास पीठासीन अधिकारी:- श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. भवरलाल आ0 श्रीनारायण जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी। --वादी

बनाम

1. कसकन्धा पत्नि शंकर उर्फ हरिशंकर जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

--प्रतिवादीगण

वाद पत्रः- अंतर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट एवं 136 एल.आर. एक्ट।

वाद संख्याः-14 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू ......**हमारे**............वहाजरी वादी के अभिभाषक .... मिनजानिब मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि:-

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम जरखोदा की जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या 294 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1290, खसरा संख्या 257, खसरा संख्या 993, खसरा संख्या 998 कुल किता 4 कुल रकबा 1.3673 हेक्टयर कृषि भूमि में कसकन्धा पत्नी स्व0 बजरंगा, जाति धाकड हिस्सा 1/5 को विलोपित किये जाकर उसके स्थान पर वादी भंवरलाल आत्मज श्रीनारायण जाति धाकड को हिस्सा 1/5 का खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

........................चीज ....-.................... मुबलिग ....-........................... बाबत ....-...........................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....-................................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ....-...................................... को अदा करे।

आज बतारीख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2023 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

	रूपया	पै	मुदायलाह	रूपया	पै
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	महनताना वकील पर	-	-
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	-	-		-	-
मीजान					

मुहर

उपखण्ड अधिकारी नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 15:46:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांकः— रीडर/20.23/ 356 दिनांकः—26.12-23

प्रेषितिः—

तहसीलदार
नैनवां।

विषयः—न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु ।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या.......14 | वाद | 2023.......

बउनवान.......भँवरलाल.......बनाम.......कमलचन्द्र.......

निर्णय दिनांक.......22|12|23.......

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ ~~प्राथमिक डिक्री~~/अन्तिम डिक्री/~~अंतिम निर्णय~~ की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्नः— उक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.01.09 15:46:14 IST
Reason: SelfAttested